न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– रक्षा पारीक, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 2024 / 51 (प्रा0प0)
दायर दिनांक – 08 / 02 / 2024
निर्णय दिनांक – 27 / 06 / 2025

अनवान

1. मदनसिंह पिता रोडसिंह परमार निवासी खमनोर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खमनोर, जिला राजसमन्द

विपक्षी

उपस्थित –
प्रार्थीगण की ओर से – श्री सुरेशचन्द्र खटीक, अधिवक्ता
विपक्षीगण की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांक – 27 / 06 / 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम खमनोर पटवार हल्का खमनोर तहसील खमनोर में आराजी संख्या 4619 / 879 रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी संख्या पूर्व में आराजी संख्या 822 की सीमा से सटमा था किन्तु वर्तमान में ऑनलाईन राजस्व प्रकिया की जमाबन्दी एवं नक्शें में राजस्व कर्मचारियों द्वारा आराजी संख्या 822 की सीमा से दुर बताकर बनास नदी के अन्दर बता दिया। जो राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से इन्द्राज हो गया। राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वर्तमान में 4619 / 879 से दुर आराजी संख्या 822 को दर्शाया गया है जो गलत है, जबकि आराजी संख्या 4619 / 879 के सटमा आराजी संख्या 822 स्थित है। जिसे प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में शुद्विकरण कराने की अधिकारिणी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी संख्या 4619 / 879 से दुर आराजी संख्या 822 दर्शाया गया है उसे पूर्ववत् अनुसार 4619 / 879 के सटमा आराजी संख्या 822 इन्द्राज कर राजस्व रेकर्ड में शुद्विकरण कराने की कृपा करावें।

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी का जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार खमनोर के द्वारा अपने पत्र कमांकःभू.अ. /राजस्ववाद/2025/517 दिनांक 12.05.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि खसरा संख्या 4619/879 रकबा 0.0253 हैक्टेयर किस्म आ.चा. खातेदार मदनसिंह पुत्र रोडसिंह हिस्सा 1/3, नाबालिग उदयसिंह पुत्र रोडसिंह संरक्षक माता लक्ष्मीबाई हिस्सा 1/3 एवं लक्ष्मीबाई हिस्सा 1/3 जाति राजपूत के नाम दर्ज है। उक्त खसरे का नियमन उपजिलाधीश कार्यालय नाथद्वारा के आदेश कमांक 1235–38 दिनांक 02.12.96 को रोडसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत के नाम हुआ था। नियमन का नामान्तरकरण पटवार हल्का खमनोर के द्वारा दिनांक 12.12.96 को नामान्तकरण संख्या 1265 से खोला गया, जिसमें तात्कालिन नक्शा ट्रेस संलग्न है। वक्त सेग्रीगेशन राजस्व ग्राम खमनोर के नवीन नक्शें में आराजी संख्या 4619/879 को आराजी संख्या 822 से दूर पश्चिम दिशा में बता दिया गया है जबकि नियमन नामान्तरकरण 1265 के साथ लगे तात्कालिक नक्शा ट्रेस में आराजी संख्या 4619/879, आराजी संख्या 822 के सटमा है तथा मौके की स्थिति भी यही है। अतः वर्तमान नक्शें में सुधार करते हुए नियमन नामान्तरकरण में संलग्न नक्शे के अनुसार किया जाना उचित होगा, जिसमें आराजी संख्या 4619/879 एवं आराजी संख्या 822 को सटमा दिखाया गया है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं डिजिटाईजेशन के दौरान वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटिवश हुई अशुद्वि को शुद्व किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि विपक्षी संख्या 01 तहसीदार खमनोर की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में सही अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : आदेश : –

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खमनोर की रिपोर्ट मय अनुशंषा के अनुसार ग्राम खमनोर, पटवार हल्का खमनोर तहसील खमनोर स्थित प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी संख्या 4619/879 को आराजी संख्या 822 से दूर पश्चिम दिशा में बता दिया गया है जिसे नियमन नामान्तरकरण 1265 के साथ लगे तात्कालिक नक्शा ट्रेस अनुसार आराजी संख्या 4619/879 को आराजी संख्या 822 के सटमा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शें में अंकन किया

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

जावें। पालनार्थ तहसीलदार खमनोर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27 / 08 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मोहर के मेरे हस्ताक्षर सुनाया गया।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)